

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(22)2023 / गोप्र / प्रमुवसं /

दिनांक :

निमित्त

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, आर.एफ.वी.पी. जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / कोटा / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर / (वन्यजीव), जोधपुर / (वन्यजीव), उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) / सरिस्का (अलवर) / मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर / आर.वी.पी. कोटा / एफ.पी.आर.पी. जयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर / निदेशक, परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर / निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।

विषय:- दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर विचार नहीं किये गये लोकसेवकों की डी.पी.सी. को रिव्यू करवाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 एवं परिपत्र दिनांक 24.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95 पार्ट जयपुर दिनांक 16.03.2023 द्वारा राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 प्रसारित किये जाने के कारण दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर विचार नहीं किये गये लोकसेवकों की डी.पी.सी. को रिव्यू किया जाना है।

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 एवं परिपत्र दिनांक 24.05.2023 के क्रम में सभी मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक कार्यालयों द्वारा रिव्यू डी.पी.सी. के प्रकरणों को संकलित नहीं भिजवाया जाकर प्रकरणों को पृथक-पृथक भिजवाया जा रहा है। आपके कार्यालयों द्वारा प्रकरणों के पृथक-पृथक भिजवाये जाने से इस कार्यालय के द्वारा प्रकरणों को राज्य सरकार को पृथक-पृथक प्रेषित किये जाने से इस कार्यालय एवं राज्य सरकार का समय एवं संसाधनों का दुरुपयोग होता है एवं डी.पी.सी. को रिव्यू किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की निम्नानुसार संकलित प्रस्ताव/सूचनायें/प्रमाण-पत्र प्रेषित करें :-

1. कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2023 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय 2 से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में नियत तिथि से पदोन्नति देने की कार्यवाही की जावेगी एवं आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग से उनके लिए छाया पद स्वीकृत करवाना होगा। तत्पश्चात पदोन्नति दिये जाने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

Signature valid

Digitally signed by Anil Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2023.06.14 10:25:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4071171



अतः आप उक्त परिपत्र दिनांक 24.05.2023 की अनुपालना में छाया पद स्वीकृत करवाने हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव निम्न प्रपत्र में बनाकर मय पूर्व आयोजित डीपीसी के समस्त दस्तावेज (डीपीसी आयोजित करने हेतु बैठक का कार्यालय आदेश की प्रति, डीपीसी वर्ष की निम्न पद व उच्च पद की वरिष्ठता सूची, संबंधित डीपीसी का प्रश्नावली एवं बैठक कार्यवाही विवरण आदि) इस कार्यालय को दिनांक 05.07.2023 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें ताकि तदनुसार प्रकरणों को राज्य सरकार को प्रेषित कर छाया पद स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।

क्रम संख्या	नाम कार्यालय	नाम कार्मिक जिनके लिये छाया पदों का सृजन किया जाना है	पूर्व का पदोन्नति वर्ष	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की अनुपालना में डीपीसी वर्ष जिसमें पदोन्नति की जानी है	सृजित किये जाने वाले छाया पद		अवधि जिसके लिये छाया पदों की आवश्यकता है
					नाम	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2023 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय 2 से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में नियत तिथि से पदोन्नति देने की कार्यवाही की जावेगी एवं आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग से उनके लिए छाया पद स्वीकृत करवाना होगा। तत्पश्चात् पदोन्नति दिये जाने हेतु रिज्यू डीपीसी के प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

अतः आप बिन्दु संख्या 1 में उल्लेख कार्मिकों के रिज्यू डीपीसी के समस्त प्रकरण तैयार कर अपने कार्यालय में संधारित कर लेवें ताकि छाया पद स्वीकृति के पश्चात् तत्काल प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाया जा सके। उपरोक्त संदर्भ में रिज्यू डीपीसी के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित ना करें।

2. आप छाया पद की स्वीकृति के संबंध में आप निम्न प्रमाण-पत्र प्रेषित करें कि—

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2023 के क्रम में इस कार्यालय को रिज्यू डीपीसी हेतु सहायक वनपाल/वनपाल के कमशः/.....वर्षहेतु छाया पदों की ही आवश्यकता है।

यदि किसी कार्यालय द्वारा छायापद हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को पूर्व में प्रेषित किये जा चुके है तो पुनः संकलित प्रस्ताव उपरोक्तानुसार बनाकर प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावें।

भवदीय

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(22)2023 / गोप्र / प्रमुवसं / 6022-6107/c
प्रतिलिपि —

दिनांक : 19.06.2023

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी को पालनार्थ।

2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराज.)
राजस्थान, जयपुर

Digitally signed by Arun Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2023.06.19 10:25:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4071171

